

# स्वामित्व योजना आबादी सर्वे 2022-23

प्रकरण क्रमांक ...../अ -3/2022-23

ग्राम – .....

LGD CODE - .....

पटवारी हल्का नंबर – .....

रा.नि.मंडल - .....

तहसील - .....

जिला – .....

(1)

फॉर्म- अ

(परिपत्र दो- 1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्वआदेश-पत्र (रेकन्यू ऑर्डर शीट)

न्यायालय तहसीलदार तहसील.....जिला ..... का मामला क्र...../अ-3/2022-23

विषय :- आबादी भूमि (स्वामित्व योजना) पर अधिकार अभिलेख प्रदान करने की योजना.....प्रकरण की श्रेणी ..

ग्राम.....प0ह0न0..... तहसील. ....कलेक्टर का क्र. ....सन् 20.... -20.....

अनुविभागीय अधिकारी का क्र. ....सन् 20.... -20.....तहसीलदार का क्र. ....सन् 20.... -20.....

.....नायब तहसीलदार का क्र. ....सन् 20.... -20

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही	आवेदक आक्षेपकर्ता के संक्षिप्त हस्ताक्षर
1	2	3
	<p>कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख म0 प्र0 के पत्र क्रमांक 143 भूप्र/आबादीसर्वे 2021 ग्वालियर दिनांक 03/02/2022 एवं म0प्र0 राजपत्र दिनांक 28/01/2022 एवं कार्यालय कलेक्टरभू-अभिलेख ..... के पत्र क्रमांक 696/भू-अ.आ.सर्वे/रा0नि0/2022 ..... दिनांक 23/03/2022 के अनुसार आबादी सर्वे/स्वामित्व योजना के तहत हेतु ग्राम वार प्रकरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके संबंध में हल्का पटवारियो सं ग्राम वार आबादी भूमि की जानकारी दी गई है। जिसमें ग्राम .....हल्का पटवारी..... रा0नि0म0.....के द्वारा खसरानंबर .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>रकबा .....</p> <p>.....</p> <p>.....कुल खसरा नंबर.....</p> <p>.....कुल रकबा.....मद आबादी भूमि के कम्प्यूटराईज्ड खसरा नक्शा हस्तलिखित खसरा मिसल की नकल प्रस्तुत की गई है। जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु सादर प्रस्तुत है।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार</p>	

(1)	(2)	(3)
	<p>– प्रकरण पेश ।</p> <p>– प्रकरण कलेक्टर/जिला सर्वेक्षण अधिकारी महोदय जिला..... से प्राप्त ।</p> <p>– जिला सर्वेक्षण अधिकारी महोदय द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 98-11-भू.प्र.-आ.स.-29383-2022 ..... , दिनांक 27/01/2022 के आधार पर एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के उपबंधों के अधीन तहसील ..... अंतर्गत ग्राम ..... प.ह.नं ..... रा.नि.मं. .... स्थित आबादी भूमि का सर्वे कर नक्शा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु आदेशित किया गया है ।</p> <p>अतः उक्त ग्राम में आबादी भूमि का नक्शा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु ग्राम स्तर पर सर्वे दल गठन करने के संबंध में आदेश जारी हो । सर्वेदल नियत अवधि में आबादी भूमि का सर्वे उपरांत नक्शा तथा अधिकार अभिलेख तैयार कर पेश करें ।</p> <p style="text-align: right;">सहा.सर्वेक्षण अधिकारी तहसील .....</p>	

(3)

## राजस्व आदेश पत्र अनुवृत्ति – पत्र

Rev.-Hindi

रा.प्र.क्र. –...../अ-3/2022 –23

(1)	(2)	(3)
	<p>प्रकरण पेश।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रकरण में आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार करने दल का गठन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत/सभा का अभिमत प्राप्त किया गया। पटवारी द्वारा आबादी भूमि के सर्वे की तैयारी संबंधी चैकलिस्ट परिशिष्ट- 5 तैयार कर पेश की गई। प्रकरण में आबादी भूमि के सर्वे से संबंधित चैकलिस्ट परिशिष्ट- 3 एवं 4 तैयार कर संलग्न की गई। रा0नि0/पटवारी द्वारा द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे किया गया। रा0नि0/पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत ग्राम के आबादी भूमि की फाइनल नक्शा शीट तैयार करने हेतु प्रारूप नक्शा एवं संशोधन सूची रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग में जमा करने उपरांत भारतीय सर्वेक्षण विभाग से स्वामित्व अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु फाइनल नक्शा शीट प्राप्त किया।</p> <p>रा0नि0 /पटवारी दल द्वारा आबादी सर्वे सूची व प्रारूप अधिकार अभिलेख पेश करे।</p> <p>पेशी :-</p> <p style="text-align: right;">सहा. सर्वेक्षण अधिकारी तहसील .....</p>	

(4)

Rev.-Hindi

## राजस्व आदेश पत्र अनुवृत्ति – पत्र

रा.प्र.क्र.- ...../अ-3/2022 –23

(1)	(2)	(3)
	<p>प्रकरण पेश।</p> <p>रा.नि./पटवारी दल द्वारा आबादी सर्वे सूची/प्रारूप अधिकार अभिलेख तैयार कर पेश किया गया।</p> <p>इस प्रारूप अधिकार अभिलेख सूची का म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के नियम 17 के तहत प्रारूप 15 में दावे-आपत्ति के आमंत्रण हेतु 15 दिवस की उद्घोषणा जारी किया जाए।</p> <p>ग्राम के हितबद्ध पक्षकारों को म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के नियम 17 के तहत प्रारूप-16 में व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी हो।</p> <p>उक्त सूचना तामिली की अभिस्वीकृति का रजिस्टर म.प्र.भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के नियम 17 के तहत संधारित कर तामिली उपरांत प्रकरण में संलग्न किया जाए।</p> <p>पेशी :-</p> <p style="text-align: right;">सहा. सर्वेक्षण अधिकारी तहसील .....</p>	

(5)

## राजस्व आदेश पत्र अनुवृत्ति – पत्र

Rev.-Hindi

रा.प्र.क्र. – ...../अ-3/2022 –23

(1)	(2)	(3)
	<p>तहसीलदार /सहायक सर्वेक्षण अधिकारी ....., जिला ..... म0प्र0</p> <p style="text-align: center;"><b>प्रतिवेदन</b></p> <p>मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम ..... तहसील .....जिला ..... स्थित आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण की कार्यवाही की गई है।</p> <p>उक्त ग्राम की आबादी क्षेत्र का ड्रोन एवं गठित दल के माध्यम से सवे कर प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं प्रारूप नक्शा का निर्माण किया गया। प्रारूप अभिलेखों का प्रकाशन किया गया। प्रकाशन उपरान्त दावा आपत्तियां प्राप्त हुई/नहीं हुई। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण विधि अनुसार किया गया। निराकरण उपरान्त तैयार की गई संशोधन सूची जो प्रकरण में संलग्न है।</p> <p>उक्त संशोधन प्रारूप अभिलेखों में दर्ज किये गये और नक्शा एवं अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप प्रदान किया गया। नक्शा एवं अधिकार अभिलेख प्रकरण में संलग्न है। इस प्रकार म0प्र0 भू-राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 16,17,एवं 18 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर तैयार नक्शा एवं अधिकार अभिलेख का अनुमोदन एवं नियम 20 के तहत अंतिम प्रकाशन किये जाने हेतु प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।</p> <p>जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला .....</p> <p style="text-align: right;">सहा. सर्वेक्षण अधिकारी तहसील .....</p>	

## कार्यालय पटवारी हल्का नंबर .....

क्रं0/ /प0ह0न0...../2023

.....दिनांक-...../...../2023

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

तहसील ....., जिला-.....।

विषय:- आबादी सर्वे अंतर्गत दावा आपत्ति के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबद्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम ..... प0ह0न0..... रा0नि0म0.....

तह0-..... जिला-....., में स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी सर्वे का कार्य किया जा रहा

है, जिसका प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक ..... को कर दिया गया है। परन्तु आज दिनांक

..... तक कोई भी दावा आपत्ति ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। दावा आपत्ति की

समय-सीमा पूर्ण हो चुकी है। उक्त ग्राम में दावा-आपत्ति की संख्या निरंक है।

अतः प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- मौका पंचनामा।

हस्ताक्षर पटवारी

## मौका पंचनामा

आज दिनांक ..... को ग्राम ..... प0ह0न0-.....  
रा0नि0म0..... तह0 ....., जिला-..... के अंतर्गत, आबादी सर्वे का कार्य प्रगति  
पर है। जिसमें दावा आपत्ति हेतु प्रारंभिक ग्राम ..... में ग्राम पंचायत ..... के  
सूचना पटल में चस्पा कर दिया गया था। साथ ही प्रथम प्रकाशन के बाद आबादी सर्वे सूची में प्रत्येक  
हितग्राही-वार हस्ताक्षर अंगूठा लेकर तामिल किया गया है, दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के अंतिम दिवस  
तक ग्राम-वासियों के द्वारा कोई भी दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त ग्राम में दावा आपत्ति  
की संख्या निरंक है।

अतः पंचनामा मौके में तैयार किया जाकर उपस्थित ग्राम-वासियों के हस्ताक्षर लिये गये।

पंचों के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर पटवारी



कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसील ..... जिला ..... म0प्र0

क्रमांक / /स्वा0यो0/री0तह./2022

दिनांक /0 /2023

रा.प्र.क.- /अ-3/2022-23

ग्राम -

//आदेश//

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख के निर्माण के लिए “ स्वामित्व ” योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना अंतर्गत आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर नक्शा एवं अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। अतः उक्त संबंध में ग्राम .....ग्राम पंचायत ..... प.ह.नं... ..... रा.नि.मं. ....के कार्य हेतु निम्नानुसार ग्रामस्तरीय सर्वे दल/समिति का गठन किया जाता है:-

क्र.	सर्वेदल/समिति	
1.	सरपंच ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	सचिव ग्राम पंचायत	सदस्य
3.	पटवारी ग्राम प0ह0नं0	सदस्य-सचिव
4.	ग्राम कोटवार	सदस्य
5.	ग्रामसभा द्वारा नामांकित 2 सदस्य	सदस्य

ग्रामस्तरीय सर्वे दल/समिति के कर्तव्य -

1. ग्राम के लोगों को आबादी ड्रोन सर्वे के संबंध में जागरूक करें व मुनादी करावें।
2. ग्राम की आबादी के खसरा नंबरों का मौके पर सीमांकन करें एवं आबादी भूमि के भीतर 25 सितम्बर 2018 से पूर्व निर्मित आवासीय भवनों, रास्तों, शासकीय भवन आदि संरचनाओं की ड्रोन उड़ान के पूर्व चूने/चूने के घोल से चिन्हांकन का कार्य सुनिश्चित करना।
3. डोर टू डोर सर्वे में सहायता एवं समन्वय करना।
4. ड्रोन सर्वे उपरांत सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त नक्शा का मौके पर मिलान कर भौतिक सत्यापन कर नक्शा व आबादी भूमि के धारकों के पति एवं पत्नि के संयुक्त नाम दर्ज कर अधिकार अभिलेख तैयार करें। तत्पश्चात इस प्रारूप अभिलेख के प्रकाशन उपरांत दावे आपत्तियों के समाधान में सहायता करना।
5. संबंधित कार्यों/कर्तव्यों से जुड़े हुए अन्य विषयों पर पूर्ण गंभीरता से कार्य संपादित करें।

सहा.सर्वे. अधिकारी/तहसीलदार  
तहसील .....

पृ0क्र0 / /स्वा0यो0/री0तह./2022

लखनादौन, दिनांक /0 /2022

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला ..... की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (रा0) तहसील .....जिला ..... की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी महोदय (पुलिस) .....जिला ..... की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत .....जिला ..... की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस थाना प्रभारी ...../ ...../ ..... जिला ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
6. राजस्व निरीक्षक ..... एवं ..... की ओर सूचनार्थ एवं लेख किया जाता है कि राजस्व निरीक्षक सर्वे कार्य, नक्शा का भौतिक सत्यापन एवं अधिकार अभिलेख तैयार करना आदि कार्य अपने निर्देशन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. सरपंच ग्राम पंचायत व ग्रामसभा द्वारा नामित 02 सदस्य श्री .....की ओर सूचनार्थ। उक्त कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
8. सर्व संबंधित .....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहा.सर्वे. अधिकारी/तहसीलदार  
लखनादौन

// आदेश //

जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला सिवनी द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक.....दिनांक.....अनुसार ग्राम पंचायत..... की आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण ड्रोन पद्धति से किया जाना है। भू- सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेगा।

उक्त कार्य हेतु निम्नानुसार ग्राम पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

क्रमांक	सदस्य का नाम	धारित पद	समिति मे पद
1.		सरपंच ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.		सचिव ग्राम पंचायत	सदस्य
3.		पटवारी ग्राम प0ह0नं0	सदस्य-सचिव
4.		ग्राम कोटवार	सदस्य
5.		ग्रामसभा द्वारा नामांकित सदस्य	सदस्य
6.		ग्रामसभा द्वारा नामांकित सदस्य	सदस्य

उपरोक्त समिति समय-समय पर शासन/कलेक्टर/जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश/निर्देशानुसार कार्य करेगा तथा सभी नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेगा।

सहा.सर्वे. अधिकारी/तहसीलदार  
लखनादौन

पृ0क0 / / प्र0तह0 / 2022

, दिनांक / 0 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ ।
2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (रा0) लखनादौन जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ ।

सहा.सर्वे. अधिकारी/तहसीलदार  
तहसील .....

परिशिष्ट- 3

**तहसीलदार/सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की चेक लिस्ट**

ग्राम का नाम .....तहसील ..... जिला .....

गांव की जनसंख्या ..... आबादी का सर्वे नं. ....

..... क्षेत्रफल .....

क्र0	विवरण	दिनांक	हाँ/ नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्या उक्त ग्राम की आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे नहीं हुआ है?		
2.	क्या ड्रोन उडान की सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति सर्वे ऑफ इंडिया को प्राप्त हो चुकी है?		
3	क्या स्थानीय पुलिस थाना को ड्रोन सर्वे की जानकारी और समय सारणी दे दी गयी है?		
4.	क्या कर्मचारी को समय सारणी के अनुसार कार्य का विवरण किया है ?		
5.	क्या ड्रोन सर्वे की समय सारणी ग्राम पंचायत के पटल पर प्रदर्शित की हैं ?		
6	क्या विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सर्वे की जानकारी ग्राम वासियों को दी गई हैं ?		
7	क्या आबादी भूमि में निवासरत व्यक्तियों की जानकारी को समग्र डाटा में अद्यतन कर दिया गया है ?		
8	शासकीय विभाग की सम्पत्तियों के चिन्हांकन के संबंध में सर्व संबंधित को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है?		
9	क्या सेटेलाईट इमेज पर अंकित ग्राम आबादी की सीमा मौके पर चिन्हित की गयी हैं?		
10	क्या चूने/चूने के घोल द्वारा सभी संपत्तियों को चिन्हित किया है?		
11	पटवारी एवं सचिव द्वारा आबादी सीमा में शासन के विभिन्न विभागों को आवंटित भूमि (स्कूल ,आंगनवाडी ,अस्पताल, इत्यादि) की जानकारी तहसीलदार द्वारा गठित दल को दी गयी हैं?		

ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण होने के पूर्व यह सूची तहसीलदार उपखण्ड/उपजिला सर्वेक्षण अधिकारी को सौंपेगे ।

हस्ताक्षर व दिनांक

हस्ताक्षर  
तहसीलदार

परिशिष्ट- 4

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत की चेक लिस्ट

ग्राम का नाम ..... तहसील ..... जिला .....

गांव की जनसंख्या ..... आबादी का सर्वे नं. ....

..... क्षेत्रफल कमष: .....

.....

क्र०	विवरण	दिनांक	हाँ / नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्या विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सर्वे की जानकारी ग्राम वासियों को दी गई है?		
2.	क्या ड्रोन सर्वे की समय सारणी ग्राम पंचायत के पटल पर प्रदर्शित की है ?		
3.	क्या आबादी भूमि में निवासरत व्यक्तियों की संपत्तियों को समग्र आई.डी. डाटा में अद्यतन कर दिया गया है ?		
4.	क्या सार्वजनिक/षासकीय संपत्ति को चिन्हित करने के लिए ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त मात्रा में चूना/चूने के घोल उपलब्ध है ?		
5.	क्या ड्रोन उड़ान के पूर्व की सभी तैयारिया हो चुकी हैं ?		

ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण होने के पूर्व यह सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी को सौंपेगे ।

हस्ताक्षर व दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत .....

परिशिष्ट- 5

ड्रोन से आबादी सर्वे के दौरान पटवारी की चेकलिस्ट

ग्राम का नाम ..... तहसील ..... जिला ..... गांव की  
जनसंख्या ..... आबादी का सर्वे नं. ....  
..... क्षेत्रफल .....

क्रमांक	विवरण	दिनांक	हाँ/नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्या अलग-अलग क्रम से ड्रोन सर्वे के बारे में शुरू से आखरी तक नोटिस वितरण आदि कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है?		
2.	क्या ग्रामवासियों को ड्रोन सर्वे के बारे में मुनादी कर जानकारी दी गयी है?		
3.	सेटेलाइट इमेज के ऊपर प्राप्त आबादी क्षेत्र सीमा का प्रतिरूपण कर चूना/चूने के घोल से सीमा नियत कर दी गई है?		
4.	क्या निर्देशानुसार सम्पतियों को चुना/चूने के घोल से चिन्हित किया जा चुका है?		
5.	क्या ड्रोन सर्वे प्रारंभ होने से समाप्त होने तक सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों/ग्रामीणों की सर्वे कार्य के संबंध में सहायता हेतु आपके दल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कर ली गयी है?		

यह सूची पटवारी तहसीलदार को सौंपेंगे।

हस्ताक्षर व दिनांक

पटवारी का नाम व मोबाईल नंबर

कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसील .....जिला-.....

क्रमांक/ /रीडर तह./2022

दिनांक / /

प्रति,

ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत .....

जिला ..... म0प्र0

विषय:- आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे के माध्यम से अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु ग्रामसभा अभिमत प्रस्ताव प्रस्तुत करने बावत।

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर के निर्देशन में शासन की योजना अनुसार ग्रामीण आबादी भूमि का ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाकर अधिकार पत्र दिया जाना है। जिसमें आबादी भूमि में स्थित निजी, शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्तियों को हल्का पटवारी द्वारा ग्रामस्तरीय सर्वेदल के सहयोग से सीमांकन कर चूना लाइन/चूने के घोल से चिन्हित किया जाना है। आबादी भूमि में स्थित संपत्तियों को चिन्हांकित करने उपरांत SOI की टीम द्वारा ड्रोन सर्वे किया जाना है। अतः संपत्तिधारी के कब्जा अनुसार धारक को अधिकार पत्र देने हेतु नक्शा एवं प्रारूप अधिकार अभिलेख तैयार करने के संबंध में अभिमत प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों का विवरण।

सहा.सर्वे. अधिकारी/तहसीलदार  
तहसील .....

पृ.क्रमांक/ /रीडर तह./2022

दिनांक / /

प्रतिलिपि:-(1) कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी महोदय, जिला ..... को सूचनार्थ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (रा0) .....जिला ..... को सूचनार्थ।

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत .....जिला ..... को सूचनार्थ।

(4) पुलिस थाना प्रभारी ...../ / जिला ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहा.सर्वे. अधिकारी/तहसीलदार  
तहसील .....

अभिमत प्रस्ताव

—00—

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख के निर्माण के लिए “ स्वामित्व “ योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना अंतर्गत आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर नक्शा एवं अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। अतः उक्त संबंध में ग्राम.....ग्राम पंचायत .....प.ह.नं.....रा.नि.म.....मे आबादी खसरा नम्बर निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नं0	रकबा हे0 में0	अन्य अभ्युक्तियां
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

उक्त खसरा नंबरों में निवासरत लोगों को अधिकार अभिलेख तैयार कर अधिकार अभिलेख विवरण किया जाना है। ग्राम ..... का आबादी सर्वे करने, नक्शा एवं अभिलेख तैयार किये जाने पर ग्राम पंचायत .....को कोई आपत्ति नहीं है। पंचायत द्वारा चूना एवं मजदूरों की व्यवस्था कर दी गई है।

सरपंच  
ग्राम पंचायत .....  
जनपद पंचायत .....

सचिव  
ग्राम पंचायत .....  
जनपद पंचायत .....

प्रारूप-पन्द्रह  
(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020  
न्यायालय / कार्यालय सहायक सर्वेक्षण अधिकारी / (तहसीलदार) .....

जिला ..... म0प्र0

क्रमांक / / भू-सर्वेक्षण / 2022

दिनांक / / 2022

—: उद्घोषणा :-

प्रारूप अधिकार अभिलेख के संबंध में दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित किया जाना।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 17 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में सर्वसाधारण के लिए यह उद्घोषणा जारी की जाती है कि ग्राम —.....

.....प0ह0न0— ..... रा0नि0म0..... तहसील.....जिला—.....

... के आबादी भूमि के अधिकार अभिलेखों को सहायक सर्वेक्षण अधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिकार अभिलेखों की प्रति एतद्वारा ग्राम के सार्वजनिक स्थल / चौराहा/ग्राम पंचायत के सूचना पटल/तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की गई है। जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के समस्त ब्यौरे वर्णित है। कृपया ब्यौरों का अध्ययन कर लें अथवा उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से समझ लें। यदि किसी प्रविष्टि के संबंध में किसी व्यक्ति/हितबद्ध व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्तियों को दिनांक / /2022 के पूर्व सहायक सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लिखित में अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकता है।

इस उद्घोषणा में ऊपर दी गई दिनांक का अवसान हो जाने पर दावों तथा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्न :- प्रारूप अधिकार अभिलेख की प्रति।

स्थान :- .....

दिनांक :- /0 /2022

सहा. सर्वेक्षण अधिकारी / तहसीलदार  
तहसील .....

पृ0क्रमांक / / भू-सर्वेक्षण / 2022

लखनादौन, दिनांक: / / 2022

प्रतिलिपि :-

1. पटवारी ग्राम ..... प0ह0न0 ..... ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी करावें।
2. सचिव/सरपंच कार्यालय ग्राम पंचायत ..... के सूचना पटल तथा संबंधित ग्राम में उद्घोषणा चस्पा करें।

सहा. सर्वेक्षण अधिकारी / तहसीलदार  
तहसील .....



प्रारूप-सोलह  
(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020  
न्यायालय सहायक सर्वेक्षण अधिकारी / तहसीलदार .....जिला .....

क्रमांक / / भू-सर्वेक्षण / 2022 , दिनांक / / 2022

—: सूचना :—

प्रारूप अधिकार अभिलेख के संबंध में दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित किया जाना।

प्रति,

खातेदार – प्रारूप अधिकार अभिलेख सूची अनुसार

ग्राम का नाम –

पटवारी हल्का नं०.....रा०नि०मं० – .....

तहसील .....जिला .....म०प्र०

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 17 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में आपको यह सूचित किया जाता है कि ग्राम ..... प.ह.नं. .... रा०नि०मं० .....तहसील ....., जिला ..... म०प्र० के अधिकार अभिलेखों को जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। आपसे संबंधित खाता के अधिकार अभिलेख के प्रारूप की प्रति एतद् द्वारा संलग्न है जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के समस्त ब्यौरे वर्णित है। कृपया ब्यौरों का अध्ययन कर लें अथवा उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से समझ लें। यदि किसी प्रविष्टि के संबंध में आपको कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्तियों का अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लिखित में अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्नक :- प्रारूप अधिकार अभिलेखों की प्रति।

स्थान :- .....

दिनांक :- / / 202

सहा.सर्वेक्षण अधिकारी / तहसीलदार

तहसील .....




राजस्व निरीक्षक  
रा.नि.मं.....

पटवारी  
ग्राम- ..... हल्का नं० .....

## स्थल पंचनामा

आज दिनांक.....को ग्राम.....रा0नि0मं0 .....

..... तहसील .....जिला ..... में श्रीमान कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक 899/भू0अधि0/रा0नि0/स्वा0 2024 दिनांक .....के परिपालन में स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रकरण में अधिकार अभिलेख एवं फाइनल नक्शा शीट अनुसार रिक्त भू-खण्ड जो कि हितग्राही को आंवाटित किये जा रहे हैं, की जांच मेरे द्वारा मौके पर जाकर की गई जिसमें संबंधित हितग्राहियों का कब्जा होना पाया गया है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया गया है।

सरल कं	सर्वेक्षण क्रमांक / खसरा कं.	भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल वर्ग मी में	अधिकार अभिलेख अनुसार हितग्राही का नाम	निरीक्षण उपरांत टीप	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
10						
11						
12						
13						

स्थलटीप पंचनामा मौका स्थल पर तैयार किया जाकर गवाह स्वरूप उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर लिए।